

फर्द अहकाम

स्थायी न्यायालय
 अमित बनारस नाम ज्योति प्रसाद वर्मा
 मुकदमा संख्या / वर्ष 130 / 2012

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/3/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/4/22 को पेश हो।	
	11/4/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19/5/22 को पेश हो।	
	19.05.22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11.07.2022 को पेश हो।	
	11/7/22	वकिलों द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 01/9/22 को पेश हो।	
	01/9/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/10/22 को पेश हो।	
	28/10/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30/12/22 को पेश हो।	
	30/12/22	वकिलों द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 31/2/23 को पेश हो।	
	03/02/23	व.फ. 05/01 का.मु. की तलबी हेतु रजि. एडी. के सम्मेलन पेश करें। आगामी पेशी पर तलबी पेश नहीं करने की स्थिति में पत्रावली 09/2/23 में खारिज कर दी जावेगी। पत्रावली आ.प. तलबी दिनांक 10/3/23 को पेश हो।	

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/3/23	<p>कार्य द्वारा आज कण्डोलेंस / कार्य रखे जाने से पत्रावली गत अनुसार दिनांक <u>08/5/23</u> को पेश हो।</p>
	8/5/23	<p>प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रे कार्यवाही हेतु दिनांक <u>26/6/23</u> को पेश हो।</p>
	26/6/23	<p>पत्रावली आज प्रशासन गाँव के संग प्रियान्त / कैंप कॉर्ट ग्राम में पेश हुई। प्रशासन रूप / अनु. पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक <u>21/8/23</u> को पेश हो।</p>
	24/8/23	<p>प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रे कार्यवाही हेतु दिनांक <u>08/11/23</u> को पेश हो।</p>
	08/9/23	<p>वाडी नय अधिवक्ता के उपस्थित बेमर प्रा.पत्र पत्रावली तलब का पत्र देने पर पत्रावली तलब की गयी। वाडी नय अधिवक्ता ने प्रा.पत्र विद्वा का पत्र कर निवेदन किया कि पत्रकारों के साथ लोक अडालत के नामक एवं सुभाष के अर्पित अर्पितों के समसाक्षात् दिनांक 17/8/23 के राणीनामा के गयी है प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाई है प्रतिवादिगण 6 ता 8 का और वे अधिवक्ता के प्रा.पत्र पत्रावली तलब कर नोट प्रेष करने बाबर पेश किया। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाई है प्रा.पत्रों के पत्रावली का अधिलेखन किया गया। प्रा.पत्र विद्वा के प्रतिवादि 06 ता 8 का काउण्टर स्वयं नोट प्रेष स्वीकार किया गया उभिले प्रेषित होता है प्रा.पत्रों के स्वीकार किया जाता है पत्रावली में अब कोई कार्यवाही कोष नहीं है अतः पत्रावली का प्रकरण से एक हीकर उभिले इन्फर हो।</p>

बस्ता

दस्तावेज जो आदेश 7 नियम और अ

ACM

संख्या

संख्या

अनिल कुमार

6 ता 8 का

पत्र काउण्टर

स्वयं

Not process

पत्र

हजार